



113/11

दूरभाष 2286709

2286710

नव चेतना केंद्र 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 398 / 05 / 76 / एक / 2016-17  
सेवा में,

दिनांक : 16 मई 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-लखीमपुर खीरी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20295441879	IFSC Code ALLA0210285	132.108

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
1	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 05, रंगरेजान द्वितीय, में प्रवीन कुमार राना के मकान से राजेश के मकान तक व हनीफ के मकान से तौले वाल्मीकि के मकान तक व वाल्मीकि मंदिर से धनश्याम और राजेन्द्र के मकान तक तथा प्रदीप के मकान से सुभाष व राकेश के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण	9.985
2	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 05, रंगरेजान द्वितीय, में खेमकरन के मकान से मुन्ना के मकान तक व फूल मोहम्मद के मकान से सरबजीत के मकान तक व नया चौक से मतीन व शमशाद के मकान तक व इकबाल के मकान से मंसूर मिस्त्री के मकान तक तथा कल्लू शिकारी के मकान से मारूम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क	12.732
3	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 05, रंगरेजान द्वितीय, खेमकरन के प्लाट से शमशाद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	12.531
4	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 06, बरबण्डा, में मोहर्रम अली के मकान से बनवारी के मकान तक व रसूल अहमद के मकान से नसरुद्दीन के मकान तक तथा श्याम लाल के मकान से शाहवान के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	16.215
5	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 06, बरबण्डा, में अदराम के मकान से श्याम लाल भैया के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	3.767
6	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 01, ढाकिन, में रामेश्वर के मकान से रामखिलावन के मकान तक व सालिगराम के मकान से लेखराम के मकान तक व मेवालाल के मकान से जगदीश के मकान तक बदलूराम के मकान से जवाहर लाल के मकान तक तथा राजाराम के मकान से रामगोपाल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का	7.079
7	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 01, ढाकिन, में इंटरलाकिंग रोड से चुन्नी के मकान तक व श्याम किशोर के प्लाट से साजिद के मकान तक व इंटरलाकिंग रोड से मुमताज के मकान तक व इंटरलाकिंग रोड से बाबा के मकान तक तथा ऋषि के मकान से बैरिस्टर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण का	16.667



119/2

दस्तावेज 2286709  
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किस्त)
8	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 02, सिंगहिया, में छोटेलाल के मकान से सुरेश के मकान तक व लाला राम के मकान से शिवकुमार के मकान तक तथा राजू के मकान से गौरी शंकर व शारदा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	9.617
9	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 04, रंगरेजान प्रथम, में विजय के मकान से रमेश व धुरई के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	13.552
10	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 08, इन्दिरा नगर, में ज्ञान चन्द्र के मकान से गुलशन चड्ढा व गुरुमुख सिंह के मकान तक तथा गुलशन चड्ढा के मकान से रामू टायर वाले के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	6.730
11	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 08, इन्दिरा नगर, में दिलीप अरोड़ा के मकान से मटरू लाल के घर तक तथा इकबाल खरादी से शेरसिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8.788
12	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 08, इन्दिरा नगर, में जसपाल सिंह गहनिया के मकान से अशोक मौर्या के मकान तक व कुलदीप सिंह के मकान से तारसेम सिंह के मकान तक जगदीश के मकान से काले के मकान तक तथा राजाराम के मकान से रोशन व कामना के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	5.997
13	लखीमपुर खीरी	एससीपी-83	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 08, इन्दिरा नगर, में पी०डी० गुप्ता के प्लाट से मुमताज के मकान तक व इरफान के मकान से इंद्रपाल के मकान तक व अलीजान के मकान से इशियाक के मकान तक तथा पी०डी० गुप्ता के प्लाट से रईस अहमद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8.448
	योग				132.108

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रांगुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि० अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल-सूडा।
4. लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक